दैनिक जागरण (दिल्ली)
11 अगस्त 2018 (पृष्ठ-13)

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की समानांतर विपणन प्रणाली

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में जारी

सरकारी तेल कंपनियों के अतिरिक्त, निजी पार्टियां द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम), आदेश 2000 में निर्धारित शर्तों को पूरा करके और लागू होने वाले विभिन्न अन्य अधिनियमों और आदेशों के प्रावधानों का पालन करके एलपीजी के समानांतर विपणक के रूप में देश में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का विपणन कर सकती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ बेईमान निजी पार्टियां समानांतर विपणक के रूप में उनके संचालन के लिए लागू अधिनियमों और आदेशों के उल्लंघन में काम कर रही हैं। तदनुसार, जनता के सामान्य हित में, निम्नलिखित बिन्दुओं को सूचित किया जाता है:

क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) समानांतर विपणक के रूप में परिचालन के लिए किसी भी निजी पार्टी को कोई लाइसेंस जारी नहीं करता है।

ख) निजी पार्टियों को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में उल्लिखित चार रेटिंग अभिकरणों में से किसी एक से रेटिंग प्रामण पत्र प्राप्त करने और समय-समय पर नवीनीकरण कराने की आवश्यकता होती है। ये रेटिंग अभिकरण चार पैमाने पर अर्थात अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम और अधिक जोखिम रेटिंग प्रदान करती हैं। पार्टी को प्राप्त रेटिंग व्यापार करने की उसकी क्षमता का एक संकेतक है।

ग) कुछ समानान्तर विपणक वैध रेटिंग प्रमाण पत्र के बिना ही उपभोक्ताओं को एलपीजी/ऑटो एलपीजी बेच रहे हो सकते हैं। कृपया ध्यान दे कि समानान्तर विपणकों को समाचार-पत्र, लघुपत्रिका, पम्फलेट पर्चियों आदि में किसी भी विज्ञापन पर अपनी रेटिंग शब्दों, अर्थात अच्छी, समाधानप्रद, कम जोखिम और अधिक जोखिम में इंगित करना आवश्यक है और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से प्रकाशित भी करना आवश्यक है।

घ) समानांतर विपणक द्वारा उसके और उसके वितरक/ग्राहक के बीच हुए वाणिज्यिक अनुबंध का उल्लंघन करने की स्थिति में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा, मंत्रालय किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से समानान्तर विपणक या उसके वितरक को भुगतान की गई राशि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

इस नोटिस से आम जनता को एलपीजी के विपणन के बारे में एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है और समानान्तर विपणक द्वारा किए गए किसी भी झूठे वादों, यदि कोई किया गया है, से सावधान रखना है।

डीएवीपी 33101/11/0004/1819